HAPUR POLICE

प्रेस नोट

थाना - कपूरपुर **दिनांक 31.03.2025**

"थाना कपूरपुर पुलिस ने मौ0 इबरत खान हत्याकांड का किया खुलासा"

- **थाना कपूरपुर पुलिस ने थाना क्षेत्रान्तर्गत 02 दिन पूर्व मौ0 इबरत खान की गोली मारकर हत्या करने की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी को किया गिरफ्तार।**
- **जिसकी निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल मय जिन्दा कारतूस एवं टीवीएस मोपेड बरामद।**
- **मृतक मौ0 इबारत खान अभियुक्त तैय्यब से कपड़े लाकर फैरी लगाने का काम करता था, जिसने करीब एक-डेढ महीने पहले अपना अलग काम करना शुरू कर दिया था, इसी बात को लेकर अभियुक्त तैय्यब द्वारा मौ0 इबारत खान की गोली मारकर हत्या करने की घटना को अंजाम दिया गया था।**

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.03.2026 थाना कपूरपुर क्षेत्रान्तर्गत ब्रजनाथपुर शुगर मिल रोड़ पर नहर के किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई थी, उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण, फॉरेंसिक टीम व स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था तथा मृतक की शिनाख्त मौ0 इबरत खान पुत्र किशवर खां निवासी ग्राम उरैना थाना वजीरगंज जनपद बदायूं के रूप में हुई थी, मृतक मौ0 इबरत खान वर्तमान में मौ0 मजीदपुरा गली नं0- 05 थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ में रहता था जो टीवीएस मौपेड़ पर फेरी लगाकर कपड़े बेचता था। घटना में संलिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी/अनावरण करने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे।

कार्यवाहीः-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कपूरपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 39/2026 धारा 103(1) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल मय जिन्दा कारतूस एवं टीवीएस मोपेड बरामद हुई है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

तैय्यब पुत्र इब्बन खां निवासी ग्राम उरैना थाना वजीरगंज जनपद बदायूं व हाल पता मौहल्ला शिवगढी ईदगाह रोड थाना हापुड नगर जनपद हापुड।

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अवैध पिस्टल मय एक जिन्दा कारतूस जिन्दा .32 बोर। (आलाकत्ल)

2. टीवीएस मोपेड XL100 रजि0नं0 UP37 L 7531

3. मृतक का मोबाईल फोन।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि करीब ढाई साल पूर्व से मृतक इबरत खां जोकि मेरे गाँव का ही रहने वाला था, जो वर्तमान में हापुड मे ही रहता था और हमारे यहीं से कपडा ले जाकर कपडे की फेरी करने का काम करता था। करीब एक डेढ महीना पहले मृतक इबरत खान ने हमारे यहाँ से कपडा ले जाना बन्द कर दिया तथा अपना अलग गोदाम मजीदपुरा मौहल्ले मे ही बना लिया था और खुद का काम करने लगा, यह बात मुझे बहुत बुरी लगी इसने हमारे यहाँ काम सीखा और अब अलग काम कर लिया जिससे मेरा कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया। मैने कई बार मृतक इबरत को मना भी किया और कहा कि मेरे साथ ही मिलकर काम कर ले, मै तुझे और भी कम दाम पर माल/ कपडा देता रहूँगा। लेकिन मृतक इबरत नही माना। इस वजह से मुझे मृतक इबरत पर गुस्सा आ रहा था इसी बात को लेकर मैंने मृतक इबरत को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाई और योजनानुसार मौका पाकर इबारत की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रघुराज सिंह थाना कपूरपुर जनपद हापुड।
2. उ0नि0 श्री करमवीर सिंह थाना कपूरपुर जनपद हापुड।
3. उ0नि0 श्री यतेन्द्र कुमार थाना कपूरपुर जनपद हापुड़।
4. है0का0 709 गौरव निर्वाल थाना कपूरपुर जनपद हापुड़।
5. है0का0 661 अंकित चौधरी थाना कपूरपुर जनपद हापुड़